इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15407-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**राजकुमार पांडे**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१३.

# मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) संशोधन विधेयक, २०१३

**मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा २ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं तथा उनकी संघटक संस्थाएं.".

**धारा ३ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ढ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई विभाग या कोई संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है या उसकी कोई संघटक इकाई है अथवा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय समझा गया हो;".

**धारा ४ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (९) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(९)(क) समिति, सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की, उसके द्वारा इसके अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश देने अथवा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित किए गए शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने अथवा कैपीटेशन फीस प्राप्त करने अथवा मुनाफाखोरी करने के सम्बन्ध में, कोई शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगी.

(ख) समिति, खण्ड (क) के अधीन जांच किए जाने के प्रयोजन से संस्था का निरीक्षण करवा सकेगी:

परन्तु समिति, राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी के आदेश पर, संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई किसी निरीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान ले सकेगी.

(ग) यदि जांच के परिणामस्वरुप समिति यह पाती है कि ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश अथवा फीस के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी संस्था के विरुद्ध निम्न में से एक या अधिक कार्रवाइयां कर सकेगी :

(एक) संस्था पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अधिरोपित कर सकेगी जो इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो;

(दो) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दिए गए किसी प्रवेश को अवैध घोषित कर सकेगी, जिस पर संस्था ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश तुरन्त निरस्त कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्र का नामांकन निरस्त कर देगा और किसी ऐसी परीक्षा के उसके परिणाम को निरस्त कर देगा जिसमें कि अभ्यर्थी पूर्व में ही सम्मिलित हो चुका है;

(तीन) संस्था को, किसी छात्र को, ऐसे समय के भीतर, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक प्राप्त की गई कोई राशि अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि या मुनाफे के लिये प्राप्त की गई कोई राशि वापस करने का आदेश दे सकेगी :

परन्तु यदि संस्था छात्र को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर राशि वापस करने में असफल रहती है तो वह, उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी और छात्र को संदत्त की जाएगी.

(चार) संस्था को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने का आदेश दे सकेगी;

(पांच) विश्वविद्यालय अथवा संबंधित समुचित प्राधिकारी से संस्था की मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी;

(छह) ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.

५. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा १० का संसोधन.**

**अपील.**

''१०. (१) राज्य सरकार, एक बार में तीन से अनधिक वर्ष के लिये, एक अपील प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का पद धारण कर चुका हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा कोई व्यावसायिक संस्था, ऐसा आदेश पारित किए जाने से ३० दिन की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगी.

(२) किसी अपील की सुनवाई के दौरान अपील प्राधिकारी, समिति से अभिलेख मंगाने के पश्चात् तथा अपीलार्थी एवं समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील में किया गया विनिश्चय अंतिम होगा.''.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१, सन् २००७), मध्यप्रदेश राज्य में सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के निर्धारण का उपबंध करने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिये स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था.

२. चूंकि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति को, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दिए गए प्रवेशों के संबंध में की गई शिकायत की सुनवाई करने की शक्ति दी गई है, अतएव यह अनुभव किया गया है कि समिति को व्यतिक्रम करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध और सुस्पष्ट शक्तियां दिए जाने तथा उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है.

३. चूंकि अधिनियम में एक वर्ष की कालावधि के लिये एक अपील प्राधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है, यह अनुभव किया गया है कि अपील प्राधिकारी की नियुक्ति समिति के सभापति (चेयरपर्सन) की नियुक्ति के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होती है.

४. इस विधेयक का लक्ष्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

**लक्ष्मीकांत शर्मा**
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ६ जुलाई, २०१३.

---

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निजी शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, २०१३ के खण्ड ४ के अधीन प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति को दण्डात्मक प्रक्रिया के प्रावधान लागू करने एवं खण्ड ५ के अधीन अपील की प्रक्रिया को निर्धारित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

**राजकुमार पांडे**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.